श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल को किया जाए प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री

श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य प्रतिबद्ध

27 हजार परिवारों के लिए 600 करोड़ की राशि की अंतरित

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रम विभाग, श्रम संगठनों के साथ ही नागरिकों का भी यह दायित्व है कि जिस प्रतिष्ठान से खरीदारी करते हैं, वहां श्रम स्टार रेटिंग की व्यवस्था लागू करने को प्रोत्साहित करें. ऐसे संस्थानों से उत्पाद क्रय करने और सेवाएं लेने को प्राथमिकता भी दी जाए जो श्रमिक भाइयों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं.

भोपाल, 30 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रमिकों के हित में केन्द्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं संचालित हैं. अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है.

इनमें विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है. उन्होंने प्रदेश में 3529 "गिग वर्कर्स" को पहली बार योजना का लाभ प्रदान करने के लिये विभाग की सराहना की है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि इस क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को पंजीकृत कर सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवाना हम सभी का दायित्व है. डॉ. यादव ने मंत्रालयीन बैठक कक्ष से सिंगल क्लिक द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में 27 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करते हुए ये बातें कहीं. इस अवसर पर श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे. राशि अंतरण के अवसर पर प्रदेश के जिलों में स्थित प्रशासनिक अधिकारी, श्रमिक भाई और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. प्रदेश में श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल शुरू की गई है. इस व्यवस्था में औद्योगिक संस्थाओं द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है. मंत्री श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में श्रमिकों के हित में प्रारंभ हुई योजना से अब तक एक करोड़ 83 लाख श्रमिक जुड़ चुके हैं. अब तक 8 लाख 27 हजार से अधिक प्रकरणों में 7 हजार 720 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता हितग्राहियों को दी जा चुकी है.

स्वगणना का समय पूरा, आज से जनगणना शुरू

पहले चरण में होगा मकानसूचीकरण और परिवारों की गणना

आजादी के बाद 8वीं जनगणना
1 मार्च 2027 में जारी होगा डेटा

> **जनगणना में जानकारी देने से घबरायें नहीं**
> आयुक्त गोयल ने बताया कि जनगणना से प्राप्त की गई पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगी. यह जानकारी केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और विकास योजनाओं के निर्माण कार्यों में उपयोग के लिये एकत्र की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस जानकारी के तहत किसी भी तरह के स्वत की कटौती भी नहीं की जा सकती. इसलिये किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने में घबराने की आवश्यक्ता नहीं है.

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 30 अप्रैल. राजधानी में गुरुवार को आयोजित एक प्रेसवार्ता में जनगणना 2027 की रूपरेखा साझा की गई. प्रेसवार्ता में जनगणना निदेशक कार्तिकया गोयल ने बताया 1 मई से जनगणना के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है.

इसके तहत प्रगणक 1 मई से 30 मई के बीच प्रत्येक घर जाकर मकान का विवरण और उसमें रहने वाले परिवारों की संख्या दर्ज करेंगें. बता दें जनगणना 2027 के पहले चरण में केवल मकानसूचीकरण और परिवारों की गणना की जायेगी. प्रेसवार्ता में जनगणना निदेशक कार्तिकया गोयल, अपर सचिव मनीषा सेतिया और डॉ विजय कुमार मौजूद रहे. निदेशक गोयल ने बताया कि प्रगणक जनगणना से संबंध में कुल 33 निर्धारित प्रश्नों पर लोगो से जानकारी एकत्र करेंगे. वहीं अपर सचिव मनीषा सेतिया ने बताया कि पहली बार जनगणना को डिजिटल स्वरूप देते हुये लोगों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने का विकल्प दिया गया था. जिसमें करीब 5 लाख 81 हजार 152 परिवारों ने इस विकल्प के जरिये जानकारी दर्ज की है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ऑनलाइन जानकारी भरी है उनके घर प्रगणक केवल जानकारी के सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगें. जबकि जिन लोगों ने स्वगणना के तहत जानकारी नहीं दर्ज की है, उनके घर प्रगणक पहुंचकर निर्धारित प्रश्नों के आधार पर जानकारी दर्ज करेंगें.

2 दिन से सर्वर ठप, बैंक में नहीं हो रहा लेन-देन

शादी सीजन में पैसे के लिए भटक रहे ग्राहक, घंटों लाइन में लगकर लौट रहे निराश

चाकघाट 30 अप्रैल, क्षेत्र के यूनियन बैंक शाखा में पिछले दो दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण बैंकिंग कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। स्थिति यह है कि ग्राहकों को न तो पैसे मिल पा रहे हैं और न ही जमा हो पा रहे हैं।

शादी के सीजन में इस समस्या ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ग्राहक मणिशंकर सिंह ने बताया कि उन्हें शादी के लिए पैसे निकालने थे, लेकिन लगातार दो दिनों से बैंक आने के बावजूद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

बैंक परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। घंटों इंतजार करने के बाद भी सर्वर चालू नहीं होने से लोग बिना काम के वापस लौट रहे हैं, जिससे नाराजगी भी बढ़ती जा रही है।

कर्मचारियों ने दी वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह- बैंक कर्मचारियों के अनुसार सर्वर में तकनीकी खराबी आई है, जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों को अस्थायी रूप से अन्य शाखाओं या ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) से लेन-देन करने की सलाह दी है किंतु उपभोक्ताओं को शादी विवाह के लिए ज्यादा राशि की जरूरत रहती है किंतु फिनो और कियोस्क वाले निश्चित अनुपात में ही रकम का आहरण करते हैं जिससे खातेदार को की समस्याओं का पूर्णता निदान नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में खाता धारक क्या करें।

डिजिटल सिस्टम पर उठे सवाल- ग्राहकों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में इस तरह की समस्या होना चिंता का विषय है। समय पर समाधान न मिलने से आम लोगों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं।

जयंत सीडब्ल्यूएस कॉलोनी में ताबड़तोड़ चोरी का खुलासा

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 30 अप्रैल। जयंत क्षेत्र की सीडब्ल्यूएस कॉलोनी में पिछले दिनों की रात्रि के समय तीन सूने मकानों में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। विन्ध्यनगर थाना एवं चौकी जयंत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचकर चोरी गया माल भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई विंध्यनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना द्विवेदी ने पुलिस अधिकारियों के सतत निगरानी में यह सफलता हासिल की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी विजय कुमार शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी बी-262 सेक्टर-3 सीडब्ल्यूएस जयंत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 अप्रैल की रात करीब 1:46 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति पास के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा है। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि क्वार्टर नंबर एमक्यू 484 स्व. रंजीत लकड़ा, क्वार्टर नंबर 449 पवन कुमार श्रीवास्तव और क्वार्टर नंबर एमक्यू 431 डेलम सिंह उइके में चोरी हुई है। तीनों परिवार शादी समारोह में बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। क्वार्टर नंबर 449 से स्कूटी एक्टिवा एमपी 66 जेडएफ 0807 भी चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर बबलू बंसल पिता स्व. मोतीलाल बंसल उम्र 26 वर्ष निवासी गोलाई बस्ती जयंत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपी के कब्जे से नगद राशि, एक चांदी की बिस्किट, 6 जोड़ी चांदी की बिछिया कीमत करीब 9 हजार रुपये, स्कूटी एक्टिवा 66 जेडएफ 0807 तथा बैढ़न-बिलौंजी क्षेत्र से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल यूपी 64 आर 3850 बरामद की गई। कुल बरामद मशरूका की कीमत लगभग 1 लाख रुपये बताई गई है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विन्ध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, उनि राजेश द्विवेदी, रवि गोस्वामी, जिवेन्द्र मिश्रा, प्रआर सुनील मिश्रा, आर सुबोध तोमर, बीरेन्द्र पटेल, सिरदेलाल उइके, महेश पटेल, भीम सिंह, जीवन सिंह, प्रदीप राठौर एवं सैनिक कृष्ण कुमार गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

कल से अमृत भारत ट्रेन की नियमित सेवा शुरू

▸ बनारस से पुणे तक सीधा सफर आसान

भोपाल, 30 अप्रैल. भोपाल से गुजरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है. बनारस से हडपसर पुणे के बीच अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 2 मई से प्रारम्भ हो रही है. जबकि वापसी सेवा 4 मई से शुरू होगी.

बता दें रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई ट्रेन पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा स्टेशनों पर ठहराव के साथ संचालित होगी. इससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधी और तेज कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा. बता दें इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे. जिनमें 8 शयनयान श्रेणी, 11 सामान्य श्रेणी, 2 एसएलआरडी और 1 पेन्ट्रीकार शामिल है गाड़ी संख्या 22589 बनारस से शाम 18 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी. जो कि अगले दिन सुबह 6 बजकर 5 बजे बीना, 8 बजकर 7 बजे रानी कमलापति, 9 बजकर 16 बजे नर्मदापुरम, 10 बजकर 20 बजे इटारसी और 11 बजकर 15 बजे हरदा पहुंचेगी. वहीं तीसरे दिन मध्यरात्रि 12 बजकर 10 बजे हडपसर पुणे पहुंचेगी. वहीं इसी क्रम में गाड़ी संख्या 22590 हडपसर पुणे से सुबह 7 बजकर 50 बजे से चलकर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुये अगले दिन दोपहर 2 बजकर 30 बजे बनारस पहुंचेगी.

यात्री सुविधाओं पर बैठक में अहम सुझाव

भोपाल. यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता है और प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा. यह बात मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने भोपाल रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक में कही. बता दें बैठक में समिति के 15 में से 10 सदस्यों ने उपस्थित दर्ज कराकर यात्रियों की सुविधा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने प्रस्तुति के माध्यम से मंडल की उपलब्धियों और वर्तमान यात्री सुविधाओं की जानकारी दी. इसमें स्टेशनों पर हो रहे विकास कार्य और सेवाओं में सुधार के प्रयासों को साझा किया गया. वहीं बैठक के दौरान विधायक भगवान दास सबनानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और संगठनों से जुड़े सदस्यों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े यात्री सुविधाओं के मुद्दे उठाए.

2.5 करोड़ के बीमा धोखाधड़ी गिरोह का हुआ पर्दाफाश

विशेष संवाददाता

भोपाल, 30 अप्रैल. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशन में मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ रुपये के दावों से जुड़े एक बड़े संगठित बीमा धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस मुख्यालय भोपाल में दो प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. यह गिरोह ग्वालियर, मुरैना और रतलाम सहित कई जिलों में सक्रिय था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी पहचान के जरिए सैकड़ों संदिग्ध बैंक खाते खोलकर अनेक बीमा पॉलिसियां लीं. इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराए गए, कई मामलों में बीमित व्यक्ति की जानकारी के बिना ही, और कुछ ही महीनों में बीमा राशि का दावा कर लिया गया. कई मामलों में मृत घोषित किए गए लोग जीवित पाए गए. गिरोह ने धन निकालने और स्थानांतरित करने के लिए जटिल नेटवर्क का उपयोग किया. पुलिस ने कई संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

ढ़ाबा में दबिश देकर पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब

नवभारत न्यूज

रीवा, 30 अप्रैल, चोरहटा थाना अन्तर्गत ग्राम धौचट सिंह ढ़ाबो में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में शराब जप्त की है. साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. यहा अवैध शराब की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी.

थाना प्रभारी चोरहटा पवन शुक्ला द्वारा मय स्टाप के ग्राम धौचट सिंह ढाबा में रेड कार्यवाही की गई. जहा ढाबे के अन्दर एक व्यक्ति बैठा मिला. जिसने नाम शुभम सिंह पिता देवेन्द्र सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धौचट थाना चोरहटा जिला रीवा हाल संचालक सिंह ढाबा ग्राम धौचट का होना बताया. ढाबे की तलासी ली गई तो संदेही शुभम सिंह के स्वामित्व के सिंह ढाबा ग्राम धौचट जिला रीवा के आगे वाले कमरो से काफी मात्रा में शराब की भरी बोतले मिली. जिसके कब्जे से देशी, अग्रेजी शराब एवं वीयर कुल मात्रा 249.3 लीटर कुल कीमती 148149/- रुपये की जप्त की जाकर धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया है.

बस और पिकअप की भिडंत, युवक का हांथ अलग

अस्पताल में डॉक्टरों के गायब रहने से परिजनों ने किया हंगामा

नवभारत न्यूज

सीधी 30 अप्रैल, जिले के रामपुर नैकिन थानांतर्गत यूनियन बैंक के समीप बुधवार रात करीब 10 बजे अनियंत्रित बस और पिकअप के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 22 वर्षीय शीतल केवट पिता सहदेव केवट का एक हांथ कटकर पूरी तरह से अलग हो गया, जिससे उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है।

घटना के बाद लोगों ने काफी मशक्कत कर एंबूलेंश बुलाया और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स गायब थे। केवल एक ड्रेसर मौजूद था। डॉक्टर के गायब रहने से घायल का प्राथमिक उपचार में भी विलंब होता देखकर परिजन हंगामा करने लगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में ड्रेसर द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए घायल को रीवा अस्पताल रेफर कराने की कार्रवाई की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महामाया बस सर्विस क्रमांक एमपी 17 पी 1851 का चालक अत्यधिक नशे की हालत में था, जिसने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पिकअप को टक्कर मार दी। स्थानीय नागरिकों के सहयोग से घायल को तत्काल रामपुर नैकिन अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में दिखी व्यापक मनमानी - अस्पताल में गंभीर घायल को पहुचाने पर आपातकालीन स्थिति होने के बावजूद कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। पूरा अस्पताल केवल एक ड्रेसर के भरोसे संचालित हो रहा था। इलाज में हुई करीब एक घंटे की देरी और अव्यवस्था को लेकर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध-प्रदर्शन और हंगामा किया।

प्रशासनिक हस्तक्षेप और रेफर - हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की ओर से महेंद्र विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे। उनके हस्तक्षेप और सक्रियता के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गंभीर रूप से घायल शीतल केवट को प्राथमिक उपचार के अभाव में ही बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

एसडीएम ने आयरन टेस्टिंग ड्रिलिंग कार्य पर लगाया रोक

चितरंगी 30 अप्रैल। उपखण्ड मजिस्ट्रेट चितरंगी देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने चितरंगी तहसील के अंतर्गत मिसिरगवां आयरन ब्लॉक प्रभावित क्षेत्र में हो रहे आयरन टेस्टिंग और ड्रिलिंग कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जन-जीवन पर मंडराते खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।उपखण्ड अधिकारी को विभिन्न सूचना माध्यमों से प्रशासन के संज्ञान में आया था कि ग्राम केकरावं और आसपास के क्षेत्रों में मेसर्स रॉक स्टोन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही ड्रिलिंग से पत्थर के टुकड़े और अवशिष्ट पदार्थ आबादी क्षेत्रों में गिर रहे हैं। सुरक्षा के उचित प्रबंध न होने के कारण स्थानीय निवासियों के जीवन और संपत्तियों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, जिससे लोक शांति भंग होने की आशंका बनी हुई थी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक आबादी क्षेत्रों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक उत्खनन और टेस्टिंग कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भिंड में बड़े भाई की गोली मारकर हत्या

भिंड. गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में रात करीब 12 बजे बाथरूम के विवाद में एक युवक ने अपने 36 वर्षीय बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छोटे भाई राजू भदौरिया के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

न्यायालय-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न म.प्र.
अनावेदक को सूचना
मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1988 के नियम 9 (3) के अंतर्गत
प्रो.क्र. 183/26 RCSHM प्रकरण क्रमांक 83/2026
बृजेश कुमार वैश्य बनाम हर आम व खास प्रति, हर आम व खास
आवेदक /आवेदिका बृजेश कुमार वैश्य ने आपके विरूद्ध धारा-7(1)(ङ)कुटुम्ब न्यायालय अधि. के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की/किया है। अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक 14/05/26 को प्रात: 11.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के बारे में तथ्य प्रकट करें। आज दिनांक 29/04/2026 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
न्यायालय की मुद्रा
आदेशिका लेखक
कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय
बैढ़न जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
नोट:- यह तामीली संबंधित व्यक्ति पर ही कराई जावे।

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण व्यक्ति/संस्था/निकाय को इस सूचना के माध्यम से सूंचित किया जाता है कि मौजा करौंदिया दक्षिण टोला (वार्ड क्रमांक 9), स्थित भूमि सर्वे no.295/1KA एरिया 0.152 hect. पर श्री श्री कृष्णदेव सिंह पुत्र लहरी सिंह का स्वत्व दर्ज था। आगे श्री कृष्णदेव सिंह की मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती कुसुम सिंह, महेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, अजीत सिंह और लक्ष्मी सिंह W/O,S/O कृष्णदेव सिंह ने उत्तराधिकार के आधार पर उक्त संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त किया था। इसी क्रम में एक सह-मालिक श्री अर्जुन सिंह की मृत्यु के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती शांति सिंह, मनीषा सिंह, अभिषेक सिंह W/O,S/O,D/O अर्जुन सिंह ने उत्तराधिकार/म्यूटेशन के माध्यम से उक्त संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त किया था। इसी अधिकार के तहत उक्त सह-मालिक श्री अभिषेक सिंह और अजीत सिंह ने सर्वे नंबर 295/1/1ju में अपने हिस्से का भाग 600 वर्गफुट, श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री पुष्पराज मिश्रा के पक्ष में, विलेख संख्या MP31IGR18692025A100731510, दिनांक 19/08/2025 तथा श्री अभिषेक सिंह ने सर्वे नंबर 295/1/1ju अपने हिस्से का भाग 240 वर्गफुट विलेख संख्या MP31IGR18692026A100030878, दिनांक 09/01/2026 के माध्यम से विक्रय कर दिया। उक्त विलेख उप-पंजीयक कार्यालय, सीधी में निष्पादित किया गया। वर्णित संपत्ति किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन के पक्ष में बंधक/अंतरित/दान/वसीयत/लीज/हस्तांतरित नहीं की गयी है।

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूंचित किया जाता है की उक्त विलेख के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/आमजन को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मेरे पक्षकार के कार्यालय PNBHL शाखा-सीधी (मो.6261335380) या मेरे कार्यालय चेम्बर no.103A, जिला-न्यायालय, सीधी-जिला-सीधी (म.प्र.) मो.9179636101 में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5 बजे के मध्य लिखित/मौखिक व दूरभाष से दस्तावेजों सहित अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करे। तय समय पश्चात किसी भी व्यक्ति/संस्था निकाय द्वारा की गई आपत्ति मान्य नही होगी और मेरा पक्षकार PNBHL उक्त विलेख को पाक साफ मानते हुये बंधक कर ऋण स्वीकृत करेगा।

स्थान-SIDHI दिनांक -01/05/2026
भवदीय
सुजीत सिंह एडवोकेट
चेम्बर न.103A जिला न्यायालय सीधी
जिला सीधी (म.प्र.)
मो.9179636101

अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करें : गौरव

कलेक्टर की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 30 अप्रैल। कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक रामनिवास शाह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि रोगी कल्याण समिति की राशि का उपयोग पूरी दक्षता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ किया जाए, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वही आगे चिकित्सालय की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वार्डों और शौचालयों की सफाई प्रात: काल में अनिवार्य रूप से कराई जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पताल के एसी, पंखे और कूलर की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को असुविधा न हो। बैठक में अस्पताल में संचालित कैंटीन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कैंटीन का संचालन बेहतर ढंग से हो और मरीजों व उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उचित दर पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सीएमएचओ और सिविल सर्जन को जिला चिकित्सालय के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी सक्रियता के साथ करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित विधायक श्री शाह ने अपना सुझाव दिया कि अस्पताल परिसर में नियमित साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखे। स्टाफ और सफाई कर्मियों के भुगतान समय पर करें। इसके साथ ही वाहन चालकों के मानदेय और स्टाफ ड्यूटी रूम की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए। अंत में विधायक द्वारा मरीजों को बिना किसी परेशानी के बेहतर और सुगम उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. पुष्पराज सिंह, सिविल सर्जन डॉ. कल्पना रवि, आरएमओ, अस्पताल प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यालय नगर परिषद् हनुमना, जिला - मऊगंज (म0प्र0)
E-Mail ID:-cmohanumana@mpurban.gov.in
क्रमांक/250/सार्व0नि0सू0 / वा.पा. वसूली / न0परि0 / 2026 हनुमना, दिनांक- 28-4-2026
चतुर्थ निविदा सूचना
सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है, कि नगर परिषद हनुमना, जिला - मऊगंज के अधीनस्थ संचालित वाहन पार्किंग ठेका की निलामी ऑफर दिनांक- 07.05.2026 से दिनांक - 31.03.2027 तक के लिए बंद लिफाफे में दिनांक - 05.05.2026 समय 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त निलामी ऑफर के बंद लिफाफें दिनांक ङ्क 05.05.2026 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जा सकेगें। निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अर्हतायें पूर्ण कर निविदा में भाग ले सकते है। ठेका से सम्बन्धित शर्ते नगर परिषद कार्यालय के राजस्व शाखा में अवलोकन कर सकते है।

क्र.	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रू0	अमानत राशि रू0	सालवेंशी रू0	ठेका अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	वाहन पार्किंग ठेका निलामी ऑफर। स्थान: - मिनी बस स्टैण्ड	12,77,348=00	100000-00	500000-00	07.05.2026 से 31.03.2027 तक

(श्री अरुण कुमार त्यागी) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् हनुमना जिला - मऊगंज (म0प्र0)